न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर

<u>दांडिक प्रकरण क.— 151/15</u> संस्थापित दिनांक— 21.07.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

- 1. असलम खां उर्फ असरफ पुत्र कलन्दर खा उम्र 57 साल
- 2. मोहसिन खां उर्फ छोटू पुत्र अकरम खां उम्र 27 साल
- 3. नौसे खां पुत्र नादर खां उम्र 58 साल
- 4. मजहर खान पुत्र अकरम खांन उम्र 28 साल
- 5. जाविद खां पुत्र नोसे खां उम्र 32 साल निवासी तपा वावडी मोहल्ला तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 08.06.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 294, 324, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 01.07.2015 को शाम करीबन 04.30 बजे बार्ड कमांक 1 थाना चंदेरी में फरियादिया शायरा के घर के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादिया शायरा बानों व रानी को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उन्हें व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व फरियादी सायराबानों के घर के पास आशिक को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आशिक को धारदार हथियार कुल्हाडी से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.07.2015 को शाम 04.30 बजे

फरियादिया शायराबानों अपने घर पर थी तो उसी समय नगर पालिका के कर्मचारी नाप—तौल करने आये थे। अजहर खॉ, उसका भाई छोटू, असरफ खॉ आये और उसकी नंद रानी को बुरी—बुरी गाली देने लगा और जब उसने व उसके पित आशिक ने गाली देने से मना किया सोई मजहर खॉ ने कुल्हाडी मारी जो उसके पित के सिर में लगी, खून निकल आया, नौसे खॉ ने लाठी मारी पीठ में लगी, कुछ देर बाद जाबिद लाठी लेकर आ गया, उसने भी उसके पित लाठिया मारी सभी जनों बुरी—बुरी गाली दे कर कह रहे थे कि अगर तुमने रास्ता नहीं खोला तो तुम्हारे बच्चे और तुम्हें जान से मार देगें।

- 03— फरियादियां शायराबानों ने अपने पित को साथ आकर पुलिस थाना चंदेरी में रिपोर्ट प्र0पी0 1 की रिपोर्ट घटना दिनांक को ही 04.30 बजे लेखबद्ध कराई जिसके आधार पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 224/15 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 बी, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि फरियादिया सायराबानो एवं आशिक ने दिनांक 05.05. 2017 को एवं रानी ने दिनांक 08.06.17 को अभियुक्तगण से राजीनामा करने वाबत् आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0सं० का प्रस्तुत किया। अभियुकतगण पर आरोपित धारा 294, 506 बी भा०दं०वि० शमनीय प्रकृति की होने से फरियादी सायरा बानों एवं आशिक की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 05.05.17 एवं रानी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.06.17 को स्वीकार करते हुये अभियक्तगण को राजीनामे के आधार पर भा०दं०वि० की धारा 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया गया। धारा 324, 324/34 भा०दं०वि० राजीनामा योग्य न होने से उक्त धारा के आरोप में अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 05— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 01.07.15 को शाम करीबन 04:30 बजे वार्ड कमांक 1 फरियादी सायराबानो के घर के पास आशिक को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आशिक को धारदार हथियार कुल्हाडी से स्वेच्छया उपहित कारित की ?
 - 2. दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

- 07— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फरियादी सायराबानों (अ0सा0—1) सिंहत आहत आशिक (अ0सा0—2) व रानी (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी सायरा बानों (अ0सा0—1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण से उनका गली मे रास्तें पर से निकलने को लेकर पूर्व का विवाद था। रानी (अ0सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से पूर्व के रास्ते के विवाद की पुष्टि की है, जिसके संबंध में इन साक्षियों के कथनों में कोई विरोधाभास नही है और बचाव पृक्ष की ओर से इस संबंध में इन साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में पूर्व के विवाद होने के संबंध में दिये गये कथनों को कोई चुनोती नही दी गयी। फरियादी का अभियुक्तगण से रास्तों को लेकर विवाद था, इसका उल्लेख प्रथम सूचना रिपार्ट प्र0पी0 1 में भी हैं, जिससे फरियादी के कथनों की पुष्टि प्र0पी0 1 की रिपार्ट पर से भी होती हैं। अतः ऐसे में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह तो प्रमाणित है कि अभियुक्तगण और फरियादी के मध्य रास्ते को लेकर पूर्व से विवाद था।
- 08— फरियादी सायरा बानों (अ०सा०—1) का अपने कथनो में कहना है कि घटना दिनांक को नगरपालिका वाले नापतौल करने आये थे तो अभियुक्तगण का उसकी नंद से मुंहवाद हो गया था तथा इस साक्षी के अनुसार घटना में केवल मुंहवाद हुआ था, मारपीट की कोई घटना नहीं हुयी। घटना में मुख्य आहत आशिक (अ०सा०—2) हैं, जो कि फरियादी सायरा बानों (अ०सा०—1) का पित हैं। सायरा बानों (अ०सा०—1) का कहना है कि उसका पित घटना के समय घर पर नहीं था, घटना के बाद वह घर पर आया था तथा उसने अपने पित को घटना के बारे में बताया था। अतः इस साक्षी के अनुसार आशिक (अ०सा०—2) के साथ अभियुक्तगण का न तो कोई विवाद हुआ और न ही आशिक (अ०सा0—2) के साथ अभियुक्तगण ने कोई मारपीट कर उपहित कारित की।
- 09— आशिक (अ०सा0—2) स्वयं ही फरियादी सायरा बानों (अ०सा0—1) के कथनों की पुष्टि करते हुये, यह कहता है कि आरोपीगण का गली रोकने पर से उसकी बहन रानी के साथ कहा सुनी हो गयी थी तथा आरोपीगण ने उसकी बहन और पितन को मा बहन की गिलया दी थी। आशिक (अ०सा0—2) जो अभियोजन घटना के अनुसार घटना मुख्य आहत हैं स्वयं अभियोजन घटना के विरुद्ध फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये, यह कहता है कि अभियुक्तगण से उसका कोई विवाद नही हुआ और न ही उसे घटना में कोई चोट आयी। आशिक (अ०सा0—2) व फरियादी सायरा बानों (अ०सा0—1) आरोपीगण का रानी (अ०सा0—3) से भी विवाद होना बताते हैं, परन्तु रानी (अ०सा0—3) अपने न्यायालीन कथनों में अपने साथ या अपने सामने आरोपीगण से कोई विवाद न होना बताती हैं।

- 10— सायरा बानों (अ०सा0—1) सहित आशिक (अ०सा0—2) व रानी (अ०सा0—3) जो अभियोजन घटना के अनुसार घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं तथा तीनों ही का विवाद आरोपीगण से होना प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 में लेख हैं। उपरोक्त साक्षियों में से जहा घटना में मुख्य आहत आशिक (अ०सा0—2) घटना के समय मौके पर अनुपस्थित होना बताता हैं तथा अपने साथ मारपीट की घटना से इन्कार करता है तथा यह साक्षी घटना में उसे अभियुक्तगण द्वारा कोई उपहित कारित न किया जाना बताता है। वही रानी (अ०सा0—3) भी अपने सामने कोइ घटना घटित न होना बताती तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करती है। सायरा बानो (अ०सा0—1) हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में घटना दिनांक को अभियुक्तगण द्वारा उन्हें गालिया दिये जाने के संबंध में न्यायालय में कथन अवश्य देती है परन्तु यह साक्षी भी अभियोजन का इस बात पर लेष मात्र भी समर्थन नहीं करती कि घटना में अभियुक्तगण ने आशिक (अ०सा0—2) के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की थीं।
- 11— फरियादी सायरा बानों (अ०सा०—1) साहित आहत आशिक (अ०सा०—2) व रानी (अ०सा०—3) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु उक्त प्रतिपरीक्षण में भी किसी भी साक्षी ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्तगण के विरूद्ध व अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न्यायालय में नही दिये। फरियादी सायरा बानों (अ०सा०—1) अपने कथनों में मारपीट की घटना की रिपोर्ट पुलिस को लेख कराने से ही इन्कार करती है तथा इस संबंध में कोई कथन भी पुलिस को न दिया जाना बताती हैं।
- 12— अतः अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन न करने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आशय की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है कि उन्होंने घटना दिनांक 01.07.15 को समय 04:30 बजे फरियादी के मकान के पास बार्ड क्रमांक 1 में फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आहत आशिक (अ0सा0—2) को कुल्हाड़ी व लाठी से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की। सभी साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण से राजीनामा होना स्वीकार किया है जिससे उनके द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन राजीनामें के प्रभाव में भी दिये गये प्रतीत होते हैं।
- 13— फलतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण <u>असलम खां उर्फ असरफ पुत्र कलन्दर खा,</u>
 <u>मोहिसिन खां उर्फ छोटू पुत्र अकरम खां, नौसे खां पुत्र नादर खां उम्र 58 साल,</u>
 <u>मजहर खान सुत्र अकरम खांन, जाविद खां पुत्र नोसे खा</u> पर भादिव धारा 324,
 324/34 के आरोप प्रमाणित नही होते है। अभियुक्तगण <u>असलम खां उर्फ असरफ पुत्र</u>
 <u>कलन्दर खा, मोहिसिन खां उर्फ छोटू पुत्र अकरम खां, नौसे खां पुत्र नादर खां उम्र</u>
 58 साल, मजहर खान पुत्र अकरम खांन, जाविद खां पुत्र नोसे खां को भादिव की

(5)

धारा 324, 324/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

14— अभियुक्त असलम खां उर्फ असरफ पुत्र कलन्दर खा, मोहसिन खां उर्फ छोटू पुत्र अकरम खां, नौसे खां पुत्र नादर खां उम्र 58 साल, मजहर खान पुत्र अकरम खांन, जाविद खां पुत्र नोसे खां के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा 428 द0प्र0सं० का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 07— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादिया राजोबाई अ0सा0 1 व फूलाबाई अ0सा0 2 के कथन न्यायालय में कराये गये है। फरियादिया राजोबाई अ0सा0 1 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त उसका पति है तथा अभियुक्त से कई बार उसका घरेलू बातों को लेकर वाद—विवाद हुआ है। परन्तु अभियुक्त के द्वारा उसके साथ कभी कोई मारपीट नहीं की गई है। राजोबाई अ0सा0 1 का कहना है कि 2 साल पहले वह अपनी घर की सीडियो से गिर गई थी जिससे उसके सिर में और पैर में चोट आई थी जिसके बाद उसे होस नहीं था तथा उसकी सास उसे अस्पताल लेकर गई थी और वहीं पुलिस भी आ गई थी और उसने पुलिस वालों के कहने पर कागज पर अंगूटा लगा दिया था।
- 08— फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) अपने न्यायालयीन कथनों में यह तो स्वीकार करती है कि 2 साल पहले उसके सिर पर पैर में चोट आई थी जिसके बाद उसे अस्पताल में एम्बूलेंस से ले जाकर भर्ती कराया गया था, जहाँ पुलिस भी अस्पताल पहुँची थी, परन्तु फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) का यह स्पष्ट कहना है कि अभियुक्त ने उसके साथ कभी कोई मारपीट नहीं की, तथा उसे चोट सीडियों से गिरने से आ गई थी। फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) ने अपने न्यायालयनी कथनों में अभियोजन घटना के विपरीत कथन दिये है, तथा इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन का लैंश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर अभियोजन की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु इस साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये है।
- 09— फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) अपने न्यायालयीन कथनो में इस बात का स्पष्ट खण्डन करती है कि दिनांक 17.01.2015 को शाम 04.00 बजे शराब पीने के विवाद को लेकर अभियक्त ने उसके साथ पत्थर से मारपीट की थी। राजोबाई (अ०सा० 1) जो स्वयं घटना में आहत है, स्वयं को आई चोटे अभियुक्त द्वारा कारित न की जाकर सीडियों से गिरने से आना बताती है तथा अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट करने से भी इंकार करती है तथा सास के व पुलिस वालों के कहने पर अस्पताल में अंगूठा लगाना बताती है। अभियोजन की ओर फरियादिया राजोबाई की सास फूलाबाई (अ०सा० 2) के कथन भी न्यायालय में कराये गये है। इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार

किया है, तथा यह साक्षी भी फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) को आई चोटे सीडियों से गिरने से आना बताती है। अभियोजन का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित करा कर अभियोजन द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया परन्तु अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।

- 10— फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) के शरीर पर घटना दिनांक को चोटे होना प्रमाणित होने से यह इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं माना जा सकता की अभियुक्त के द्वारा ही उक्त चोटे कारित की गई, जब तक की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर न हो। घटना में आहत राजोबाई (अ०सा० 1) स्वयं ही अपने को आई चोटे सीडियों से गिरने से आना बताती है तथा अभियक्त द्वारा उसके साथ की गई मारपीट की घटना से इंकार करती है, वहीं फुलाबाई (अ०सा० 2) भी फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) के समान ही राजोबाई को आई चोटे सीडियों से गिरने से आना बताती है।
- 11— अतः अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा ही घटना दिनांक को फरियादिया राजोबाई (अ०सा० 1) को पत्थर से मार कर स्वैच्छया उपहित कारित की। अभियोजन को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है, परन्तु अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ कि अभियुक्त ने दिनांक 17.01.2015 को शाम करीब 04.00 बजे चक्ला बावडी अंतर्गत थान चंदेरी में राजोबाई के मकान के सामने राजोबाई को पत्थर से स्वैच्छया उपहित कारित की थी।